

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-358/2019 /223 (2019/00358)

1. निम्बानाथ पुत्र गुलावनाथ,
 2. घेवरनाथ पुत्र हरदेवनाथ,
 3. लालचन्द्र नाथ पुत्र गुलावनाथ,
 4. घर्मानाथ पुत्र हरजीनाथ,
 5. उगमीदेवी पत्नि किशननाथ,
 6. लालानाथ पुत्र रंगनाथ,
 7. हरदेवनाथ पुत्र रंगनाथ,
- रामस्त जाति जोगी निवासी ग्राम जोगियों का नाडा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाग

1. रामपाल पुत्र मांगू जाति मेघवाल, निवासी सरगांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. नारुनाथ पुत्र लालानाथ, जाति जोगी, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. कुलवन्तरिंह पुत्र मदनपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी मरुधर केसारी वस्ती, वार्ड नं0 31, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. रामावतार पुत्र गिरधारी, जाति खटीक, निवासी शीतला माता मंदिर के पास, दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़
दिनांक 22.8.2019 अंतर्गत वाद संख्या 41/2018.


उपरिस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 01, 04.
3. रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 3 अनुपरिस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट संख्या 5.

निर्णय

दिनांक:- 16.09.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.8.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



2. वादी/रेस्पोंड संख्या 1 ने अधीन न्यायाधीश के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजकाशत अधीन के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोंड संख्या 2 एवं राज्य सरकार के पेश कर कथन किया कि ग्राम उसकी एकल कब्जे काशत, उपयोग उपभोग की गैर खातेदारी की आराजी ग्राम जोगियो का नाडा सरगांव, तहरील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 116/6 रकवा 5 बीघा किस्म बारानी द्वितीय है जिस पर कृषि कार्य कर रहा है एवं काविज काशत है। इस आशय से घोषणात्मक एवं गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। दौराने दावा अपीलान्टस निम्नानाथ वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्त श्री घेवरनाथ जो कि प्रकरण में स्वयं अपीलान्टस के द्वारा अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जादी वारते वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादीगण बनाने बाबत प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी आधार के अधीन न्यायाधीश ने संपूर्ण पत्रावली का विधिवत् रूप से गहन अध्ययन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 29.7.2019 के द्वारा अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीन न्यायाधीश के इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्टस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका पेश की गई जो विचाराधीन है। इसके विचाराधीन रहते अधीन न्यायाधीश ने गैर कानूनी रूप से रेस्पोंड संख्या 1 का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2019 द्वारा डिक्री फरमा दिया। अधीन न्यायाधीश के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील धारा 96 जादी के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की है।
3. अधीन न्यायाधीश का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलान्टस ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 96 जादी पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2019 को पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से खारिज कर दिया था जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज, अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसके विचाराधीन रहते ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया जो अन्यत्र वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आने से उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जादी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
5. विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील के गुणावगुण पर बहस में निवेदन किया कि अधीन न्यायाधीश का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीन न्यायाधीश ने इस तथ्य पर

न्यायालय अजमेर
अजमेर



ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 ने आपसी मिलीभगत करके बिना अपीलान्टस को वाद में पक्षकार बनाये अपने पक्ष में दावा डिक्री करवा लिया जो इस तथ्य से साबित है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा जानबूझकर पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस उक्त विवादित आराजियात खसरा नंबर 116/6 रकवा 5 बीघा से संबंधित विभिन्न राजस्व अदालतों में चल रहे मुकदमों में अपीलान्टस पक्षकार रहे है जिसकी जानकारी रेस्पोंड संख्या 1 व 2 को वखूवी थी इसके बावजूद वादीगण ने अपीलान्टस को वाद में पक्षकार कायम नहीं कर एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित करवाकर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त के अधिकार प्राप्त किये है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी चारागाह आराजी है जो कि खसरा नंबर 116/1 में से खसरा नंबर 116/6 बना है जो कुल रकवा 5 बीघा है। वर्तमान में एवं आवंटन के समय भी चारागाह ही दर्ज थी तथा भू-संशोधन के दौरान भी चारागाह दर्ज थी परन्तु फिर भी अविधिक रूप से किए गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि कारित की है। उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 28.11.2007 को आवंटन निरस्त किया गया एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा भी दिनांक 16.6.2008 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर का निर्णय दिनांक 28.11.2007 यथावत् रखा गया था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्यायालयों के निर्णयों को नजरअंदाज कर अपीलान्तीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। वहस में आगे कथन किया कि उक्त आराजी की मौके पर आज दिनांक तरमीम नहीं हुई है तथा ना ही किसी प्रकार की काश्त रेस्पोंडेन्ट/आवंटी द्वारा की जा रही है ना ही आवंटन शर्तों की पालना की गई है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंड संख्या 3 को अपना मुख्तयारआम नियुक्त कर वादग्रस्त आराजी का वेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2019 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 को कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट ने आपसी मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अपना वाद डिक्री करवा लिया है तथा अब वे वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र खुर्द बुर्द करने, वेचान करने तथा निर्माण कार्य आदि करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब दिनांक 14.2.2018 को दावा पेश किया गया उस समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन थी परन्तु इस तथ्य को छिपाते हुए रेस्पोंडेन्टस ने आपसी दुर्भिसंधी कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया है जो विधिविरुद्ध होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2019 के विरुद्ध अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन थी ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। वादग्रस्त आराजी बावत् पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2005 में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 23/2006 अंतर्गत धारा 447, 147, 323 एस. सी. एस.टी. एक्ट के तहत अजमेर एस.सी. एस.टी. कोर्ट में चला था

Jm
राजस्थान अपील प्राधिकारी
अजमेर



जिसमें भी रैस्पोजेन्ट्स का कब्जा या लेकर भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं की जाने की शर्त भीका रिपोर्ट अंकित है परन्तु फिर भी इस महत्वपूर्ण कानूनी विन्दु को गंजरअंदाज करते हुए अपील न्यायालय ने अपीलार्थीन निर्णय व डिक्ली पारित की है जो निरस्तनीय है। विवादित आराजिगत नामत् संवत् 1930 गिती द्वितीय आपाङ्क वदी चारस में अपीलार्थी को पूर्णों को जागीरदार, किशनगढ़ दरवार द्वारा पट्टा दिया गया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलार्थी व ग्रामवासियों के मवेशी स्वत आराजी पर चरते आ रहे है। अपीलार्थी ने इस तथ्य को भी गंजरअंदाज किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्विकार कर अपील न्यायालय का निर्णय व डिक्ली निरस्त किया जावे तथा रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में किसे ममे आवंटन को निरस्त करते हुए चावसरत आराजी को पुनः चारसमाह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०डी० 1982 पेज 604, 1982 पेज 497, आर०वी०जे० 1998 पेज 622, आर०एल०डब्ल्यू० 2011 पार्ट-2 पेज 1389 सुप्रीम कोर्ट, आर०वी०जे० 2012 पेज 196, आर०वी०जे० 2011 पेज 294, आर०आर०डी० 2019 पेज 595, आर०वी०जे० 2012 पेज 356, आर०वी०जे० 2014 पेज 81 हाई कोर्ट, आर०वी०जे० 1999 पेज 521, आर०वी०जे० 2020 पेज 133 तथा आर०आर०डी० 1989 पेज 203 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

6. विद्वान वकील रैस्पोजेन्टस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०वी० एवं अपील पर बहस करते हुए बताया कि रैस्पोजेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं भूमिहीन कृषक होने से आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.04.1997 को कैम्प सरगांव में ग्राम सरगांव स्थित सिवायचक आराजी खरारा नंबर 116/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, तब से लेकर आज दिवस तक रैस्पोजेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। स्वयं अपीलार्थी ने उक्त आवंटन को माननीय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में चुनौती दी जिसे अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने निर्णय दिनांक 5.3.2007 को अपीलार्थी व तहसीलदार का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया तत्पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो भी खारिज की गई तत्पश्चात् माननीय मण्डल में अपील की गई जो निर्णय दिनांक 22.10.2014 द्वारा खारिज की जाकर रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक नामांतरण को यथावत् रखा गया है। अपीलार्थी ने माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 22.10.2014 की अपील माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ के समक्ष रिट संख्या 4225/2018 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 07.05.2018 को हो चुका है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.05.2018 के आदेश के विरुद्ध डी.वी. में चुनौती दी जिसका निर्णय भी दिनांक 20.09.2018 को हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से कोई सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देने से अंतिम हो चुका है। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट में पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 के क्रम में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अनुशंभा/अनुमति चाही गई थी जिसमें जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 5.2.2019 राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3.6.2019 को कमेटी का गठन कर "राजसव-ग्रुप-7 विभाग द्वारा क्रमांक प.3 (30)राज-7/2019

Jm
राजसव अपील प्राथमिकी
अजमेर



दिनांक 3.6.2019 को एस0बी0 रिट याचिका संख्या 4240/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर नही करने का विनिश्चयन सूक्ष्म प्रशासनिक स्तर से लिया गया है। अतः निर्णय दिनांक 18.5.2018 की पालना सुनिश्चित कराकर की गई कार्यवाही से अविलम्ब इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।" इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को निर्देशित किया गया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश है वह अंतिम है जिसकी किसी प्रकार की अपील नहीं की गयी है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद पत्र संख्या 41/2018 पेश किया गया था जिसमें अपीलांटस द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर खारिज किया है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई जो निगरानी सारहीन होने से एडमिशन स्तर पर ही दिनांक 30.8.2019 को खारिज कर दी गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसरण करने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को दिनांक 3.6.2019 को आज्ञा पत्र जारी कर दिया है जिससे पाबंद है। अपीलांटस को किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोंडेन्ट को अधिकारों से वंचित करने की मंशा से यह अपील पेश की है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की रिपोर्ट बाबत तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 19.8.2019 को रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है जिसमें विवादित आराजी पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। बहस में आगे कथन किया कि बरवक्त आवंटन विवादित आराजी बारानी द्वितीय है एवं आवंटन आदेश से उपरोक्त आराजी पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस पीडित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी निरस्त किया जावे तथा अपील को भी मेरिट पर खारिज कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखी जावें। विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपने के कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016-17 सप्लीमेंट्री पेज 473 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

7. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की, निगरानी याचिका विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को निर्णित कर दिया। विवादित आराजी से सम्बन्धित प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर व न्यायालय हाजा में पूर्व में अपील प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण पक्षकार थे, इस प्रकार प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार

[Handwritten signature]
अजमेर

की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।


8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। विवादित आराजी वाकै सरगांव खसरा नम्बर 116/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.04.1997 को आवंटित की गई, जिसका दिनांक 06.08.1998 को गैर-खातेदारी स्वीकृत कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश की चुनौती देते हुए प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 1970 के नियम 14(4) का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 05.03.2007 को खारिज कर दिया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 1970 के नियम 14(4) के आदेश दिनांक 05.03.2007 की अपील न्यायालय हाजा (राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर) में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2008 को उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 14.07.1997 को किया गया आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। मान्नीय मण्डल ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.06.2008 को निरस्त कर अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 05.03.2018 की पुष्टी की जाकर आवंटी की अपील स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन संख्या 4200/2018 सरकार बनाम सुगना व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 द्वारा राज्य सरकार की अपील अस्वीकार कर राजस्व मण्डल राज.अजमेर का आदेश यथावत रखा गया है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-7 विभाग क्रमांक प3(31) राज.7/2019 जयपुर दिनांक 04.06.2019 द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को पत्र प्रेषित कर आदेश दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध आगे मान्नीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में अपील दायर नहीं करने का विनिश्चय सक्षम प्रशासनिक स्तर से लिया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार, किशनगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अपनी लिखित बहस तथा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 19.08.2019 में अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजी पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 का कब्जा काशत है एवं मौके पर ज्वार फसल काशत की गई है। उक्त मौके रिपोर्ट का कोई खण्डन नहीं किया गया तथा ना कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद को प्रतिवादी द्वारा जवाब प्राप्त होने के पश्चात तनकीयात कायम कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार कि प्रक्रियात्मक त्रुटि व विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील खारिज योग्य पायी जाती है।




[Signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



9. अतः अपील अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 41/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 को यथावत् रखा जाता है।


(राजेन्द्रसिंह शेखावत)
सुप्रीम अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
सुप्रीम अपील प्राधिकारी
अजमेर